जुलाई, १६५६

मूल्य चार आना

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन

अप्रैल १८-२४, १९५५

प्रधान मन्त्री

जवाहरलाल नेहरू के भाषण

अन्तिम विज्ञप्ति

पब्लिकेशन्स डिवीजन

सूचना और प्रसार मन्त्रालय

भारत सरकार

संसार की लगभग $\frac{3}{5}$ जनसंख्या वाले एशिया और अफ्रीका के २९ देशों ने इन्डोनेशिया के बांडुंग नगर में १८ अप्रैल को एक सम्मेलन में भाग लिया। ज्ञात इतिहास में ऐसा सम्मेलन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विचारों में अन्तर होते हुये भी इस सम्मेलन ने एशिया और अफ्रीका के जागरण तथा एकता का एलान किया है।

वहां भाग लेने वाले देशों में कुछ ऐसे देशों को छोड़ कर जो करीब करीब स्वतंत्र थे, बाकी सारे देश पूरे आजाद थे। विचारों तथा जाति की विभिन्नता के कारण इन देशों में आपस में और दूसरे देशों के साथ सहयोग और सद्भावना के बढ़ने में कुछ बाधा नहीं पड़ी।

इस सम्मेलन में जो फैसले सर्वसम्मति से हुये थे, उन पर भारत सरकार ने बाकायदा अपनी छाप लगा दी। भारत के प्रधान मन्त्री ने कहा कि इस सम्मेलन में भाग लेने के कारण जो उत्तरदायित्व हम पर आये हैं, उन्हें पूरा करने में हमारा देश और हमारी जनता कभी भी पीछे नहीं रहेगी।

इस पुस्तिका में, २४ अप्रैल के बांडुंग सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा दिया हुआ अभिभाषण, ३० अप्रैल को लोक सभा में दिया उनका भाषण तथा एशिया-अफ्रीका सम्मेलन की अन्तिम विज्ञप्ति छापी गई है।

२४ अप्रेल १९५५ को बांडुंग के एशिया-अफ्रीका सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में दिया हुआ भाषण।

हम लोग पिछले सात दिनों से इस सुन्दर नगर बांडुंग में हैं। इस अवधि के लिये बांडुंग सबके आकर्षण की जगह ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा एशिया और अफ्रीका की राजधानी भी रहा है।

हम यहाँ मिले, लेकिन हमने क्या काम किया? आप सब जानते हैं कि सात दिन से हम यहाँ परिश्रम कर रहे हैं और हम आपसी राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का हल पाने में सफल हुये हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिये जमा हुये हैं कि हम जानते हैं कि एशिया और अफ्रीका के रहनेवालों में मिलने मिलाने की बड़ी जबरदस्त इच्छा थी। हम यहाँ मिले हैं क्योंकि इन दोनों बड़े महाद्वीपों में कई मजबूत शक्तियाँ काम कर रही हैं, और करोड़ों आदमियों में अपनी पराधीन स्थिति को बदलने के लिये स्फूर्ति, इच्छा और चेतना जाग रही है। इसलिये हम चाहे कितने ही बड़े हों या छोटे, हमें इन शक्तियों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा।

इसलिये हम मिले। हमें कितनी सफलता मिली? आपके सामन जो वक्तव्य का मसविदा पढ़ा गया, उसे आपने सुना है, और मैं समझता हूँ कि यह अपने में काफी सफलता है। दूसरे प्रतिनिधियों ने इसका उल्लेख किया है, और आप खुद भी इसे पढ़ेंगे, परन्तु मैं इस वक्तव्य की ओर न तो आपका ध्यान ही खींचना चाहता हूँ, और न विचारों को मोड़ना चाहता हूँ। निस्संदेह यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु मैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह यह कि हम लोग हजारों मील से आकर यहाँ जमा हुये हैं, हमने आपस में बातें की हैं, एक दूसरे से मिले हैं, आपसी परेशानियाँ दूर करने के लिये बहस की है, और इस प्रकार आपस में दोस्ती की है।

मेरे मित्र बर्मा के माननीय प्रधान मन्त्री ने हमारे अलग अलग विचारों को मतभेद कहा है। और हम एक दूसरे से मिलकर इन सात दिनों तक बराबर कोशिश करते रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि हम एक से विचार और दृष्टिकोण पर पहुँच सकें। जिस किसी भी दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं एक नया ही पहलू सामने आता है। यदि आप एशिया के सुदूर पूर्व के

निवासी हैं, तो संसार और उसकी समस्याओं के प्रति आपका एक दृष्टिकोण होगा। यदि आप संसार के सुदूर पश्चिम में हैं तो आप दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं और यदि आप अफ्रीका में हैं, तो स्वभावतः ही अफ्रीका की समस्याएं उससे बिल्कुल भिन्न होंगी।

हम सब अपने अपने परिप्रेक्षित और समस्याओं को लेकर यहाँ आये। प्रत्येक ने अपनी समस्या को संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा, परन्तु साथ ही दुनिया की दूसरी बड़ी समस्याओं—एशिया और अफ्रीका की बड़ी कठिनाइयों को भी समझने की कोशिश की। सबने इस बृहत्तर पृष्ठभूमि में अपनी अपनी समस्याओं को संयुक्त करने की कोशिश की, क्योंकि अन्तिम विश्लेषण में हमारी समस्याएं कितनी ही बड़ी क्यों न हों, उनको दूसरों की बड़ी समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता और जब तक ये हल नहीं हो जातीं, तब तक हमारे प्रश्न भी हल नहीं हो सकते। इसलिये यदि विश्व शान्ति अरक्षित और डांवाडोल है, तो आप अपनी समस्याएं कैसे सुलझायेंगे ? स्पष्ट है कि इसके बिना आप उन्हें नहीं सुलझा सकते। हमारा सबसे पहला काम शान्ति स्थापित करना है। आप और हम चाहे यहाँ बैठे हों, या अपने अपने देशों में, देश की शान्तिपूर्ण उन्नति के लिये सभी देश तीव्रता से उत्सुक हैं। हम अभी तक पिछड़े हुय थे, अब भी पिछड़े हुये हैं। विश्व प्रगति की दौड़ में हम लोग बहुत पीछे रह गये थे। अब हमें उन्नति करने का अवसर मिला है। हम उन्नति करना चाहते हैं, और ऐसी घटनाओं से प्रेरित होकर बहुत तेजी से उन्नति करना चाहते हैं। यह हमारी अपनी या केवल मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन यह समय की माँग है क्योंकि अगर हमने अब तरक्की नहीं की, तो या तो हम सदा के लिये समाप्त हो जाएंगे, या जहां हैं वहीं रह जायेंगे और फिर भविष्य में ऊपर नहीं उठ सकेंगे।

निस्संदेह हम ऐसी परिस्थिति नहीं आने देंगे। हमने इसका निश्चय कर लिया है। हमने एशिया और अफ्रीका की तरक्की के लिये पक्का इरादा किया है। हमारा सब से पहला निश्चय यह है कि किसी भी तरह दूसरे देश अथवा प्रायद्वीप हम पर राज्य नहीं कर सकेंगे। हमें अपनी पूरी शक्ति से फिर उठना है। अब वह समय आ गया है जब हम अपने देशवासियों की प्रसन्नता और समृद्धि के लिये कुछ कर सकें, उन पुरानी जंज़ीरों को जिन्होंने न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक कड़ियों में भी हमें बांध रखा था, हम तोड़ कर दूर फेंक दें, वे पुरानी राजनीतिक और आर्थिक जंजीरें जिन्होंने वर्षों से हमें अपने शिकंजे में कस रखा था, जिन्हें आप औपनिवेशिक या स्वयं निर्मित जंजीरें कह

सकते हैं, हम तोड़ कर दूर फेंक दें। बेशक इस बहस के बीच हममें मतभेद रहे हैं और यह भी सच है कि कुछ प्रस्तावों पर कड़ी आलोचनाएं भी हुई हैं लेकिन हमें इन आलोचनाओं का सामना करना है क्योंकि हम एक ऐसे निश्चय पर पहुँचना चाहते हैं जिसे सब पसंद करें। मैं जानता हूँ कि इन आलोचनाओं का अवसर हमने स्वयं दिया है, क्योंकि हमारी आज की मुसीबतें केवल प्रस्ताव पास करने से दूर नहीं होंगी, परन्तु हमारा व्यवहार और कार्य ही हमारे उद्देश्यों और आदर्शों को पूरा करेंगे। तभी और केवल तभी हम जो कुछ खो चुके हैं उसे पा सकेंगे। हमें सारी बातों की वास्तविकता को देखना होगा और उसी भावना से उनका सामना करना होगा।

परंतु एशिया में आज एक और भी भावना काम कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एशिया उतना अकर्मण्य नहीं है जैसा कि वह पहले था। एशिया अब पहले जैसा आसानी से घुटने टेकनेवाला एशिया नहीं है। बहुत समय तक वह इस दुर्गुण का शिकार रह चुका है। आज का एशिया जागृत और जीवन से ओतप्रोत है। एशिया गलती कर सकता है, पहले भी इसने गलतियां की हैं, परंतु जब तक उसमें जीवन रहा, चिंता की कोई बात न थी। यदि जीवन होगा तो हम भविष्य में भी उन्नति कर सकेंगे, परंतु यदि जीवनहीन हो जायेंगे, तो हमारे सारे सही शब्द और सही काम निरर्थक हो जायेंगे और जो कुछ हम अब तक प्राप्त कर सके हैं, सब खो जायेगा। मेरा विचार है कि हमारी सफलताएँ महान ही नहीं, अत्यन्त महान हैं और अपने सब संकल्पों में हम सामान्यतया एकमत हैं। सारे प्रस्ताव हमारे अनुकूल ही हुए हैं, परन्तु इन सब सफलताओं से अधिक महत्वपूर्ण उनकी पृष्ठभूमि है। मैं कह चुका हूँ कि हमें अपनी कठिनाइयों के साथ लोहा लेना पड़ा, विचारों में अन्तर रहते हुये भी हमें समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ना पड़ा। हमने बहस की, और यह बहस तब तक चलती रही जब तक हमारे शरीर और मन पूरी तरह थक कर चूर नहीं हो गये। अन्त में विचारों में अन्तर रहते हुये भी हम सब एकमत हो गये, और यही इस समेलन की सबसे मुख्य बात है।

मैं आशा करता हूँ कि यहाँ बैठे हुये हम सब लोग आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं जो बिना सोचे समझे किसी देश या किसी व्यक्ति की बात पर हां कर दें। हम संसार के महान देश हैं जो बिना दूसरों के आदेश के स्वतन्त्रता पाना चाहते हैं। आज एशिया दुनिया को जो बात बता देना चाहता है, वह यह है कि भविष्य में अब हम किसी के भी आदेश पर नहीं चलेंगे। एशिया और अफ्रीका किसी भी देश की जी हजूरी नहीं करेंगे। पिछले युग में हम काफी दासता भुगत चुके हैं। हम दूसरे महान देशों के साथ मैत्री का सम्मान करते

हैं। अगर मुझ से पूछा जाय तो मैं कहूंगा कि हम दुनिया के बड़े देशों के साथ चाहे वह यूरोप के हों या अमेरिका के भ्रातृत्व की भावना से मिलते हैं।

मैं यह बात यूरोप या अमेरिका के लिये घृणा, अरुचि अथवा आक्रमण जैसी किसी भी भावना से नहीं कहता। हर्गिज नहीं। हम सब उन्हें यहां से शुभकामनाएं भेजते हैं, और हम उनके साथ मैत्री करना चाहते हैं, उनको सहयोग देना चाहते हैं। भविष्य में हम उनको समानता के आधार पर सहयोग देंगे, क्योंकि जिन राष्ट्रों में समानता की भावना नहीं होती, जहां एक दूसरे पर शासन करता है, वहां मैत्री नहीं हुआ करती। इसलिये हम अधीनता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जिसे हमने दीर्घकाल तक सहा है आवाज उठाते हैं, और इसलिये हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना है जिससे हमारे रास्ते में यह दूसरों पर शासन किसी भी रूप में न आ सके। इसी कारण हम पश्चिमी देशों, पूर्वी देशों और हर किसी से मैत्री करना चाहते हैं क्योंकि यदि हम एशिया के मन और आत्मा को समझना चाहें, तो वह यही है कि एशिया सहिष्णु है और वह मैत्री और सहयोग चाहता है, आक्रमण नहीं। एशिया के मन और मस्तिष्क पर जिस बात का प्रभाव पड़ सकता है, वह सहनशक्ति, मैत्री और सहयोग है विरोध नहीं।

मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता। हम एशिया के रहने वालों में मनुष्य और देश दोनों हैसियत से अनेक दोष हैं। हमारा पिछला इतिहास इसका प्रमाण है, लेकिन अतीत में यूरोप भी झगड़ों से भरा हुआ, मुसीबतों से भरा हुआ और घृणा से भरा हुआ प्रायद्वीप रहा है। उनके झगड़े उनकी लड़ाइयां अभी तक जारी हैं, और हम भी उनकी लड़ाइयों में जबरदस्ती खींचे गये क्योंकि हमारा भाग्य उनके दामन से बंधा हुआ था। क्या हम अब भी यूरोप की मुसीबतों के साथ, उसकी घृणा के साथ, यरोप के झगड़ों के साथ बंधते और खिचते रहेंगे ? आशा है नहीं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यूरोप, एशिया और अमेरिका एक दूसरे पर निर्भर हैं। अपने बारे में अलग सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें किसी ने अलग नहीं निकाला है। हमें साथ साथ रहना है, और इस नयी दुनिया में जो एक होने के आदर्श की ओर बढ़ रही है, एक दूसरे को सहयोग देना है। दूसरे बड़े देशों की तरह चाहे उनके राजनीतिक उद्देश्य कुछ भी हों यूरोप ने भी अब यह समझना शुरू कर दिया है कि उनके झगड़े दुनिया के झगड़े हैं, और इसीलिये दुनिया को किसी न किसी रूप में उनके सामने इस तरफ या उस तरफ झुकना चाहिये। कुछ भी हो मेरी समझ में यह बात पूरी

तरह नहीं आती। मैं यूरोप, एशिया अथवा अमेरिका कहीं भी किसी का लड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर दूसरे देश लड़ते हैं, तो मैं क्यों लड़ूं, और उनके लड़ाई झगड़ों में मैं क्यों खिचा खिचा फिरूँ। मेरी समझ में तो यह आता नहीं। इसीलिये मैं चाहता हूँ कि हम दूसरों के झगड़ों से अलग रहें और स्वयं न लड़ने की प्रवृत्ति रखें।

जैसा कि बर्मा के प्रधान मन्त्री ने कहा मैं भी समझता हूँ कि हम संसार पर कोई भी निर्णायक प्रभाव नहीं डाल सकते। निस्संदेह हमारा प्रभाव बढ़ेगा, वह बढ़ रहा है, और आज भी हमारा कुछ प्रभाव है, लेकिन हमारा यह प्रभाव चाहे कम हो या अधिक, ठीक दिशा में होना चाहिये, समझदारी से होना चाहिये और हमारे प्रस्तावों में बताये हुये उद्देश्य, आदर्श और लक्ष्य की एकता के लिये होना चाहिये। इस प्रस्ताव से एशिया के आदर्शों का पता चलता है, उसकी नई गतिशीलता का पता चलता है, और अगर उससे इसका पता न चले तो हमारी सार्थकता क्या है? हम क्या हैं? क्या हम यूरोप, अमेरिका या रूस वासियों के नकल करने वाले ही हैं? हम एशिया या अफ्रीका के रहने वाले हैं। हम और कुछ नहीं हैं। अगर हम रूस अमेरिका अथवा यूरोप के किसी भी दूसरे देश के पीछे पीछे चलने वाले हैं तो मैं कहूँगा कि यह हमारे सम्मान, नवीन स्वतंत्रता, नई भावना और नई आत्मनिर्भरता, किसी के लिये भी अच्छी बात नहीं है।

हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम यूरोप और अमेरिका को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। हम आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को शुभकामनाएं भेजते हैं। यह सच है कि आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड प्रायः हमारे ही क्षेत्र के देश हैं। निश्चित रूप से वे यूरोप के देश नहीं हैं और उससे भी कहीं कम अमेरिका के हैं। वह हमारे पड़ोसी हैं और मैं चाहता हूँ कि आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड एशिया के और भी अधिक समीप आयें। मैं उनका स्वागत करूँगा क्योंकि मैं जो कुछ कहना और करना चाहता हूं उसका आधार जातीय भेद भाव नहीं होना चाहिये। यह संकीर्णता हमने संसार में और जगह ही काफी देखी है, और आज भी देख रहे हैं।

हमने कभी एक देश और कभी दूसरे के लिये अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ पिछली कुछ शताब्दियों में अफ्रीका के दुःखान्त नाट्य से अधिक खतरनाक और भयानक और क्या बात होगी। जब मुझे उसका स्मरण होता है तो और सब बातें फीकी पड़ जाती हैं, मेरा मतलब अफ्रीका की उस करुण कहानी से है, जब करोड़ों अफ्रीकियों को क्रीतदास

बनाकर अमेरिका और दूसरी जगह ले जाया जाता था, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था और उन्हें जिस तरह ले जाया जाता था उससे उसमें से आधे रास्ते में ही मर जाते थे। हमें, हम सबको इसका उत्तरदायित्व ग्रहण करना है, यद्यपि इसमें हमारा कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं था। दुर्भाग्य से एक तरह आज भी अफ्रीका की मुसीबत दूसरे महाद्वीपों से ज्यादा है। चाहे यह मुसीबत जातीय हों या राजनीतिक ये हैं। इसमें सन्देह नहीं। यह एशिया के सोचने की बात है कि वह पड़ोसी के नाते अफ्रीका की यथाशक्ति सहायता करे।

मेरा विश्वास है कि हमारे इस सम्मेलन की सफलताओं ने आप सब लोगों के जो यहां पर मौजूद हैं मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी होगी। मुझे विश्वास है कि इससे दुनिया वालों के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ा होगा। मैं फिर चाहता हूँ कि हम लोग यहां भविष्य कालीन इतिहास के दूत बन कर आये, चाहे ज्ञातरूप से या अज्ञातरूप से हमने यहां इतिहास को बनाया है। हमें वह करना है जो हमने कहा है और सोचा हैं और इससे भी ज्यादा हमें वह करना है जो दुनिया हमसे आशा करती है, एशिया हमसे आशा करता है और जो इन देशों के करोड़ों आदमी हमसे आशा करते हैं। आशा है कि हम, उन लोगों के विश्वास और अपने भाग्य के योग्य सिद्ध हो सकेंगे।

३० अप्रैल १९५५ को लोकसभा में दिया हुआ भाषण

बांडुंग में अभी हाल में हुए एशिया-अफ्रीका सम्मेलन के बारे में आप सब सदस्य मुझसे कुछ सुनना चाहेंगे।

पिछले दिसम्बर में बोगोर में हुई बर्मा, लंका, पाकिस्तान, इन्डोनेशिया और भारत के प्रधान मन्त्रियों की बैठक में यह तय हुआ था कि इन्हीं पांच प्रधान मन्त्रियों के संयुक्त संयोजकत्व में एक सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन के खास खास मकसद यह थे--

सद्भावना और सहयोग की वृद्धि करना,

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार करना, एशिया और अफ्रीका के लोगों की खास रुचियों के बारे में सोचना, और

आज की दुनिया में एशिया और अफ्रीका का स्थान निर्धारित करना और विश्व शांति और सहयोग के लिए उनके योगदान पर विचार करना।

प्रधान मन्त्रियों ने यह भी तय किया कि इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के सभी आज़ाद और आज़ादी के निकट पहुँचते हुए मुल्क शामिल हों। कुछ परिवर्तनों के साथ इस सिद्धान्त को कार्य रूप देने के लिए उन्होंने यह भी फैसला किया कि वह पच्चीस देशों के प्रतिनिधियों को निमन्त्रण दें और इस तरह उनको मिला कर तीस देश इस सम्मेलन में सम्मिलित हों। इस तरह जो निमन्त्रण भेजे गये थे, वह विचार अथवा जाति के आधार पर न होकर भौगोलिक आधार पर थे। यह बात महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि प्रभावोत्पादक भी है कि एक को छोड़कर बाकी सभी देशों ने इस निमन्त्रण का जवाब दिया और सम्मेलन में ज्यादातर प्रधान मन्त्री या विदेश मन्त्री और अन्य चोटी के राजनीतिज्ञ शामिल हुये। सम्मेलन का इन्तज़ाम पांचों संयोजक राष्ट्रों के एक संयुक्त सचिवालय को सौंपा गया था। संगठन का खास बोझा, जगह का इन्तज़ाम करना, दर्शकों की सहूलियतों को देखना आदि इन्डोनेशिया की सरकार पर पड़ा। इस काम के लिये इन्डोनेशिया गणराज्य और उसके प्रधानमन्त्री ने जितना अच्छा इन्तज़ाम किया, और जिस मेहनत से काम किया, उस सबके लिये मैं हृदय से आभारी हूँ। सम्मेलन में उनकी अपनी सफलता ने इस पूरे समारोह की सफलता में और भी चार चाँद लगा दिये।

इन्डोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति डा० अहमद सुकर्ण ने १८ अप्रैल को इस एशिया अफ्रीकी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में दिये हुये उनके उद्घाटन भाषण ने उपस्थित प्रतिनिधियों को केवल उत्साह और प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि संसार को पुनर्जागृत एशिया की आत्मा का दर्शन भी कराया। हम भारतवासियों के लिये राष्ट्रपति सुकर्ण का भाषण दोनों देशों के बीच आत्मीयता और एशिया की आजादी के लिये हमारे सम्मिलित प्रयत्नों का स्मरण दिलाने वाला है।

मेरा ख्याल है कि उनके भाषण के आखिरी शब्दों से, जो हमारे लिये स्मरणीय हैं हम सब को लाभ उठाना चाहिये। उन्होंने कहा था :—

"जो कुछ बीत चुका है, उसके लिये हमें कटु नहीं होना चाहिये, लेकिन हमें भविष्य पर अपनी नजरें जमाये रखना चाहिये। हमें याद रखना चाहिये कि जिन्दगी और आजादी से बढ़कर भगवान की दी हुई और कोई सुन्दर नियामत नहीं है। हमें याद रखना है कि जब तक राष्ट्र या राष्ट्र के कुछ हिस्से गुलाम रहते हैं, सारी मानवता की मर्यादा उस हद तक छोटी हो जाती है। याद रखिये मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य का डर दूर करना, उसकी गरीबी दूर करना है और उसे उन शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक बन्धनों से मुक्त करना है, जिसने लम्बे अर्से से उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर रखा है।

"भाइयो और बहनो हमें यह भी याद रखना है कि प्राणीमात्र के हित के लिये हम एशिया और अफ्रीका वासियों को मिल कर रहना होगा।"

खुले अधिवेशन में कई प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रारम्भिक भाषणों से लोगों के दृष्टिकोण और मतभेदों का पता चला और इससे उनके समान उद्देश्यों और सम्मेलन के सामने आई हुई कठिनाइयों का आभास भी मिला। आखिरी बैठक को छोड़कर सम्मेलन का बाकी सारा काम समितियों और गुप्त बैठकों में हुआ ताकि सम्मेलन की कार्यवाही आगे बढ़े और शीघ्रता से पूरी हो सके।

यह बोगोर में ही तय कर लिया गया था कि सम्मेलन की एक अपनी कार्यसूची होनी चाहिये। संयोजकों ने यह अपनी जिम्मेदारी बचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि यह जान बूझकर किया गया था जिससे सम्मेलन स्वयं अपने कार्यों और पद्धतियों के लिए जिम्मेदार हों।

इसलिये बोगोर में निश्चित हुये मुख्य उद्देश्य के आधार पर सम्मेलन ने अपनी कार्यसूची बनाई। सम्मेलन ने यह भी तय किया कि प्रतिनिधियों के आखिरी फैसले उनके विचारों के अनुकूल हों।

आर्थिक और सांस्कृतिक मामले पृथक समितियों को सौंप दिये गये और बाद में उनके फैसले पूरे सम्मेलन की समिति द्वारा स्वीकार कर लिये गये।

समिति ने कार्यसूची के बाकी बचे हुए मसलों पर जिनमें प्रमुख राजनीतिक मसले भी शामिल थे, विचार किया। संसद के सामने पेश की गई सम्मेलन की अन्तिम विज्ञप्ति जिसमें समितियों की कार्यवाही और सिफारिशें थीं, पेश की गई। उनकी विशिष्टताओं की ओर आपका ध्यान खींचना जरूरी है। इन सिफारिशों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के किसी नये संगठन की व्यवस्था नहीं रखी गई है। यह ठीक ही हुआ है। इसके विपरीत इन सिफारिशों में कुछ हद तक वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर रहने के लिये और कुछ हद तक उन निर्णयों के अनुसार चलने के लिये कहा गया है जो अलग-अलग राष्ट्र प्रत्यक्ष सम्पर्क या समझौते द्वारा करें।

मैं सभा के सामने नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रभुत्व सम्पन्न सरकारों के आपसी व्यवहार में यह बुद्धिमानी से भरा हुआ और व्यावहारिक तरीका है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि बिना किसी अपवाद के सारे प्रतिनिधियों ने आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के महत्व को समझ लिया है। इन फैसलों ने उन पुराने विश्वासों और तरीकों को तोड़ दिया है कि एशिया को प्राविधिक सहायता, वित्तीय या सांस्कृतिक सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान के लिये केवल अपने बाहर की दुनिया पर निर्भर करना चाहिये। इन विस्तृत सिफारिशों के अलावा समितियों की रिपोर्ट सम्मेलन की एशिया के देशों की एक दूसरे तक पहुँच और आपसी सहयोग के लिए एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने की भावना के प्रतीक हैं।

आर्थिक क्षेत्र में जिन मामलों पर बहस हुई वे ये थे :—तकनीकी सहायता, आर्थिक विकास के लिये एक विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि की स्थापना करना, सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों द्वारा सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रबन्धों के द्वारा पण्य व्यापार और मूल्यों को स्थिर करना, कच्चे माल के विधायन को बढ़ाना, यातायात और जहाज सम्बन्धी समस्याओं पर सोचना, राष्ट्रीय और आंचलिक बैंक और बीमा कम्पनियां खोलना, शान्तिजन्य कार्यों के लिए अणुशक्ति का विकास करना, और एक दूसरे से हित के ममलों पर समाचार और विचारों का आदान-प्रदान करना।

सांस्कृतिक क्षेत्र में सम्मेलन ने यह मानते हुए कि राष्ट्रों के बीच सद्भावना के विकास का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन सांस्कृतिक

सहयोग का है, इसी प्रकार की बहुत सी बातों पर बहस की। पुराने ज़माने में एशिया और अफ्रीका के देशों को जिन बंधनों ने बांध रखा था, वे विदेशियों के आक्रमणों और शासन से छिन्न-भिन्न हो गये। नया एशिया अब उस पुरानी आत्मीयता को फिर पैदा करके नये और अच्छे सम्बन्ध कायम करने की कोशिश करेगा। एशिया की पुनर्जागरण भावना ने उचित और स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधियों के विचारों को प्रभावित किया। यह महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात है कि उन्होंने सहिष्णुता और विश्वप्रेम की पुरानी परम्पराओं के अनुसार इस बात को याद रखा कि सम्मेलन का विश्वास है कि एशिया और अफ्रीका का सांस्कृतिक सहयोग विश्व सहयोग को ध्यान में रखते हुए विकसित होना चाहिये। उपर्युक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिये सम्मेलन ने एक व्यावहारिक कदम के रूप में यह निश्चय किया कि सांस्कृतिक सहयोग के लिए एकत्र देशों को यह कोशिश करनी चाहिये कि वे दूसरे को अधिक जानने और आपस में संस्कृति और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने की ओर कदम उठायें। इसके लिए दोतरफा इन्तज़ाम और हर देश द्वारा अपने सर्वोत्तम तरीके से काम किये जाने से अच्छे नतीजे निकलेंगे।

पूरे सम्मेलन की समिति का काम खासतौर से मानवीय अधिकार और आत्म-निर्णय, पराधीन देशों की समस्याओं और विश्वशान्ति और सहयोग के विकास के अन्तर्गत विभाजित थे। हर शीर्षक के अन्तर्गत बहुत सी समस्यायें थीं। मानव अधिकार और आत्म-निर्णय के बारे में सोचते हुए महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे जातिभेद और जातियों को अलग रखने की नीति पर विचार किया गया। दक्षिण अफ्रीका की यूनियन और वहां हिन्दुस्तानी और पाकिस्तानी मूल वंश के लोगों की स्थिति, विश्व शान्ति के परिप्रेक्षित में पैलेस्टाइन की समस्या, मानव अधिकार और शरणार्थियों की हालत के बारे में विचार किया गया।

पराधीन देशों अथवा उपनिवेशवाद की समस्या एक ऐसा विषय था, जिस पर लोगों की सहमति और असहमति दोनों सामने आ गई। उपनिवेशवाद का अर्थात् उसके समझे जाने वाले अर्थों में, एक देश का दूसरे पर शासन करना और उसकी सारी बुराइयों के दूर करने में सब एक मत थे। स्वतन्त्रता पाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको इसने समर्थन किया और शासन करने वाली ताकतों को उन्हें स्वतन्त्र करने के लिए कहा। मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया और पश्चिमी इरिअन के सवालों पर भी

खास ध्यान दिया गया। अदन पर भी जो ब्रिटेन का संरक्षित प्रदेश है, विचार किया गया।

एक दूसरा परन्तु भिन्न मत सम्मेलन में यह भी था कि कुछ देश उपनिवेशवाद के अन्तर्गत आ गये हैं। ये देश यथार्थ में प्रभुत्व सम्पन्न राज्य थे और इनमें से कुछ तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी थे। उनके हमारे साथ और दुनिया की ताकतों के साथ राजनीतिक संबन्ध हैं। हमको ऐसा लगा कि जो भी दृष्टिकोण हो तथा सोवियत रूस और उनके बीच जो भी संबन्ध हों, उनकी किसी भी तरह उपनिवेश नहीं कहा जा सकता, और उनसे संबन्धित समस्यायें उपनिवेशवाद के अन्तर्गत नहीं आयेंगी। सम्मेलन की ओर से दिये जाने वाले किसी भी वक्तव्य में उन्हें तभी शामिल किया जा सकता था, जब सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश देश जिनमें हम भी शामिल थे, ऐसे विचारों तथा राजनीतिक दृष्टिकोणों से सहमत हो जाते, जो उनके नहीं थे। यह कहना किसी के भी प्रति अन्याय न होगा कि उस वाद-विवाद द्वारा एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन में शीत युद्ध का प्रवेश प्रतिबिम्बित होता है। संबंधित देशों को पूरा अधिकार था कि वे दूसरे मसलों की तरह इस मसले पर भी अपनी राय रखें और उन्होंने रखी। ऐसी राय सम्मेलन के किसी निर्णय का अंग नहीं बन सकती थी। खैर फिर भी यह अच्छा हुआ कि इन विरोधी विचारों को व्यक्त किया गया, और सम्मेलन में बड़े धैर्यपूर्ण और अनवरत प्रयत्नों के बाद एक ऐसा फैसला होता नज़र आया जिससे दृढ़ संस्कार वाले लोगों को भी आघात नहीं पहुँचा। यह विषय उनमें से हैं जिनके लिये कहा जा सकता है कि सम्मेलन का एक उद्देश्य यह है कि वह विरोधों को पहचानें और एकता की खोज करे।

जनता का व्यापक संहार करने वाले हथियारों को बनाने और उनके प्रयोग के विरोध में भी एशिया और अफ्रीका के देशों ने एक स्वर से आवाज उठाई। सम्मेलन ने उनका एकदम निषेध करने को कहा और बताया कि यह निषेध केवल सुचारु रूप से अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण करने से ही संभव है। उसने ऐसे हथियारों के परीक्षण को रोक देने के लिए भी कहा। शस्त्रीकरण की दौड़ तथा निःशस्त्रीकरण की तात्कालिक आवश्यकता के विषय में भी आवाज़ उठाई गई।

सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला 'विश्वशान्ति और सहयोग संबंधित घोषणापत्र' है। वहाँ एकत्रित राष्ट्रों ने ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जिनके आधार पर एक दूसरे के और सम्पूर्ण विश्व के संबंध स्थिर हों। यह

सिद्धान्त सारे विश्व में लागू किये जा सकते हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व है। हमने भारतवर्ष में पिछले महीनों में ऐसे सिद्धान्त बनाये जिनसे दूसरे देशों के साथ हमारे सम्बन्ध स्थिर हों। इनको हम पंचशील कहते हैं। बांडुंग के घोषणापत्र में यह पंचशील पूरी तरह शामिल है। इसके अलावा उसमें कई ऐसी बातें भी हैं, जो इन सिद्धान्तों की पुष्टि करती हैं। हमें इस बात की खुशी है कि इस सम्मेलन में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के प्रतिनिधियों ने ऐसे सिद्धान्तों के प्रति जिनसे यदि दुनिया में शान्ति सहयोग रखना है, तो राष्ट्रों के आपसी संबंधों और आचरण में पथ प्रदर्शन मिलेगा, अपनी आस्था प्रकट की।

सदस्यों को याद होगा कि शुरू में जब पंचशील की घोषणा हुई थी दुनिया के तमाम देशों का ध्यान इधर खिचा और कुछ जगह इसका विरोध भी हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें विश्व में सहयोग और शान्ति की भावनाओं की वृद्धि करने के तत्व मौजूद हैं। हमने उनसे यह नहीं कहा कि वह दैवी सिद्धान्त हैं अथवा उनकी संख्या या निर्माण के बारे में कोई खास पवित्रता की भावना है। उनका महत्व सिर्फ उनका अर्थ है, और इसे बाडुंग सम्मेलन की घोषणा में शामिल किया गया। कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव रखे गये और कुछ तो विरोधी सुझाव भी। अन्तिम घोषणापत्र में किसी प्रकार का पारस्परिक विरोध नहीं है। बांडुंग घोषणापत्र के सिद्धान्तों के बारे में भारत सरकार पूर्णतया सहमत है और उनका आदर करती है। उसमें हमारे देश की भलाई के विपरीत या हमारी विदेश नीति के स्थिर सिद्धान्तों के विपरीत कुछ नहीं है।

इस घोषणापत्र में एक धारा संयुक्त सुरक्षा के सम्बन्ध में भी है। संसद को ज्ञात है कि हम सैनिक गुटबन्दियों के विरुद्ध हैं और बार बार मैं बता चुका हूँ कि शक्ति संतुलन और ताकत के बूते व्यवहार पर समझौते की वार्ता करने और राष्ट्रों के विरोधी गुटों में सम्मिलित होने से शान्ति स्थापित न होगी। हमारा अब भी यही विचार है। घोषणापत्र के अन्तर्गत आत्मरक्षा की जो बात कही गयी है वह घोषणापत्र के अनुकूल है। यदि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश पर कोई सशस्त्र हमला करे, तो जब तक सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये कोई कदम उठाये, तब तक के लिये संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में स्पष्ट कहा गया है (अनुच्छेद ५८) कि आत्मरक्षा चाहे वह वैयक्तिक हो अथवा सामूहिक, सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। 'मैं घोषणापत्र के आठवें अध्याय का भी जिक्र करूंगा जिसमें प्रादेशिक प्रबन्धों की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। बांडुंग घोषणा में बड़े स्पष्ट शब्दों

में कहा गया है कि संयुक्त सुरक्षा के यह अधिकार घोषणापत्र के अनुसार होने चाहिये। इस बात पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम इसका स्वागत करते हैं। हमने घोषणापत्र में बयान दिये हुए संयुक्त सुरक्षा के उद्देश्यों के लिये सहयोग भी दिया है। बांडुंग घोषणा में इस सम्बन्ध में दो बातों की खास सावधानी रखी गयी है कि किसी भी राष्ट्र पर कोई बाहरी दबाव नहीं पड़ेगा और संयुक्त सुरक्षा प्रबन्धों का अर्थ बड़ी ताकतों की स्वार्थ सिद्धि करना नहीं होगा। हमें इस बात की खुशी है कि इस घोषणा के नियमों का आरम्भ सम्मेलन में मानव-अधिकारों के लिये अनुमति से और इसलिए सभ्यता के प्रति सम्मान से होता है। अगर सम्मेलन में बांडुंग घोषणा के सिद्धान्तों के अतिरिक्त और कोई फैसला नहीं हुआ होता, तो भी यह एक स्मरणीय सफलता होती।

अभी तक तो मैंने सम्मेलन की सफलता और वास्तविक कार्य के बारे में कहा। लेकिन बांडुंग के इस ऐतिहासिक सप्ताह का महत्व और चित्र अधूरा रह जायगा अगर हम यहाँ हुए अनेक संपर्कों के बारे में, नये सम्बन्धों के बारे में, उन पूर्वग्रहों के बारे में जिन्हें यहाँ दूर किया गया और यहाँ जोड़ी गई मैत्री के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। विशेष रूप से मुझे उन वार्ताओं और उनके रचनात्मक तथा सुखद परिणामों की चर्चा करनी है जो निजी तौर पर की गई थी। जेनेवा में हिन्दचीन के सम्बन्ध में जो निर्णय हुये थे उनको कार्यान्वित करने के विषय में कुछ कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुईं जिनके सम्बन्ध में निजी वार्ताओं द्वारा उपर्युक्त परिणाम निकले। इन कठिनाइयों को दूर करने में और आपसी सदभावना और दोस्ती बढ़ाने में सम्बन्धी पक्षों की साक्षात मुलाकातों और हमारी और दूसरे देशों के सद्भावनापूर्ण प्रयत्नों का बड़ा हाथ है। कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बारे में भी यह बात सच है। हमें बड़ा अफसोस है कि दक्षिणी वियतनाम के बारे में इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सके। इसके लिए अभी समय और ज्यादा कोशिशों की जरूरत है।

सदस्य जानते हैं कि चीन के प्रधान मन्त्री ने जब वह बांडुंग में थे, एक सार्वजनिक घोषणा की थी कि चीन अमेरिका के साथ सुदूर पूर्व और खास तौर से फारमोसा के बारे में सीधे बात करने को तैयार है, और दूसरे पक्ष को भी इसकी जानकारी है। इसलिये इस घोषणा से चीन के किसी नये दृष्टिकोण पर रोशनी नहीं पड़ती, लेकिन इस बात से कि यह एशिया और अफ्रीका के देशों के इतने प्रतिनिधियों के सामने कहा गया है यह एक शुभ लक्षण है। जितने लोगों का इससे सम्बन्ध है अगर वे सब इस मौके से

फायदा उठायें तो एक शान्तिपूर्ण समझौते की ओर बढ़ा जा सकता है।

प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई के साथ कई बार मेरी बात हुई है। इनमें से कुछ बात फारमोसा के बारे में भी हुई। मेरे अनुरोध करने पर श्री कृष्ण मेनन ने भी चीन के प्रधान मन्त्री के साथ इस सवाल पर बातें कीं। आखिरी कुछ महीनों में हमें फारमोसा के बारे में भी वाशिंगटन, लन्दन और ओटावा के विचारों और प्रतिक्रियाओं का पता चला है। हम दूसरी सरकारों के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन अपनी धारणायें बना सकते हैं, और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। हमने लगातार यह अधिकाधिक रूप से अनुभव किया है कि संकट की गंभीरता और उसके हल न होने पर जो दुष्परिणाम होंगे, उन्हें देखते हुये दोनों के बीच की खाई को पाटना जरूरी है। हमारा ख्याल है और हम उम्मीद भी करते हैं कि सब्र और लगातार मेहनत से जरूर कोई नतीजा निकलेगा या कम से कम कोई रास्ता नजर आयेगा। सौभाग्य से इस झगड़े में हम दोनों पक्षों के मित्र हैं। हमें इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं हैं, और किसी भी ऐसे रास्ते में जो शान्ति की तरफ ले जायगा हम रुकावट महसूस नहीं करते। इसलिये हमारा सुझाव है कि इस गंभीर समस्या को सुलझाने के किसी भी अवसर को हम हाथ से न जाने दें। बांडुंग की बातचीत को जारी रखने के लिये प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने श्री कृष्णमेनन को पेकिंग आने के किये निमन्त्रित किया है, और मैं बड़ी खुशी से इस बात के लिये तैयार हो गया हूँ।

बांडुंग सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना है। वास्तव में तो इस सम्मेलन का होना ही एक बड़ी सफलता होती हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि एक नया एशिया और अफ्रीका उभर रहा हैं और ये ऐसे महाद्वीप हैं जो अपनी आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। बांडुंग ने दुनिया के सामने नवजाग्रत एशियाई और अफ्रीकी देशों की व्यावहारिक आदर्शवाद की क्षमता को व्यक्त किया, क्योंकि हमने अपने कामों को बहुत थोड़े समत में पूरा कर लिया और व्यावहारिक महत्व के कुछ ऐसे फैसले किये जो इस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में प्रायः संभव नहीं होते, हमने अपनी एकता की भावना और अपनी सफलताओं को पृथकता या अहंकार की ओर नहीं बढ़ने दिया। सम्मेलन का हर बड़ा निर्णय संयुक्तराष्ट्र अथवा संसार की समस्याओं और आदर्शों से बड़ी अच्छी तरह संबन्धित है। हमारा विश्वास है कि बांडुंग सम्मेलन से हमारे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र की शक्ति बढ़ी है। इसका मतलब यह होता है कि इस विश्व संगठन के भविष्य और रुपरेखा के बनाने में एशिया और अफ्रीका को ज्यादा हिस्सा लेना होगा।

बांडुंग सम्मेलन ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शुरू में इसका विरोध हुआ, और मज़ाक भी उड़ा, लेकिन बाद में लोगों की जिज्ञासा और उम्मीदें बढ़ी, और मुझे बड़ी खुशी है कि इससे आपस में सद्भावना और दोस्ती की मात्रा भी ज्यादा हुई। सम्मेलन के बृहद अन्तिम अधिवेशन में मैंने जो बातें कही उनमें मैंने कहा कि सम्मेलन अपने पड़ोसी आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को जिनके लिए हमारे मन में सिर्फ भ्रातृत्व की भावनाएँ ही हैं, और वस्तुतः सारी दुनिया को शुभकामनाएँ भेजे। मेरा ख्याल है कि इस एशिया अफ्रीका सम्मेलन का यही संदेश है, और हमारे नवस्वतंत्र राष्ट्रों की पुरानी और अच्छी तरह स्थापित देशों और लोगों के प्रति यही सच्ची भावना है। ऐसे देशों को जो अभी गुलाम हैं, लेकिन आज़ादी के लिये लड़ रहे हैं, बांडुंग सम्मेलन से अपनी साहसी लड़ाई और आजादी और न्याय की लड़ाई को चालू रखने के लिये प्रोत्साहन मिला।

जहां बांडुंग सम्मेलन की सफलताएं और महत्व महान और नये युग का निर्माण करने वाली हैं, वहां इसे मानवीय - इतिहास के आन्दोलन का भाग न समझकर एक अलग घटना समझना इतिहास को गलत समझना ही होगा। यह दूसरा दृष्टिकोण अधिक सही और ऐतिहासिक है।

अन्त में मैं संसद से अनुरोध करूंगा कि वे सिर्फ सम्मेलन की सफलता और फायदों के बारे में ही न सोचे बल्कि इसमें भाग लेने के फलस्वरूप जो काम और जिम्मेदारियाँ हम पर आई हैं, उनको भी समझें। भारत सरकार को पूरा यकीन है कि इन जिम्मेदारियों को निबाहने में हमारा देश और हमारे देशवासी कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और इस तरह से अपने इतिहास निर्माण में एक कदम और आगे बढ़ायेंगे।

बांडुंग के एशिया-अफ्रीका सम्मेलन की अन्तिम विज्ञप्ति

बर्मा, लंका, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के निमंत्रण पर सन् १९५५ के १८ अप्रैल से २४ अप्रैल तक बांडुंग में एशिया-अफ्रीका सम्मेलन बुलाया गया। इन संयोजक देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित २४ देशों ने भी इसमें भाग लिया :

१. अफगानिस्तान
२. इथियोपिया
३. ईराक
४. ईरान
५. कम्बोडिया
६. गोल्ड कोस्ट
७. चीन का गणराज्य
८. जापान
९. लाओस
१०. जोर्डन
११. टर्की
१२. थाईलैंड
१३. नेपाल
१४. फिलीपाइन्स
१५. मिश्र
१६. येमन
१७. सऊदी अरब
१८. लाइबेरिया
१९. लिबिया
२०. लेबनान
२१. वियतनाम राज्य
२२. वियतनाम का लोकतंत्रात्मक गणराज्य
२३. सीरिया
२४. सूडान

एशिया-अफ्रीका-सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के देशों की सार्वजनिक हित और समस्याओं पर और उन तरीकों पर विचार हुआ जिनसे वहाँ की जनता पूर्णतर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सहयोग पा सके।

अ—आर्थिक सहयोग

१. एशिया-अफ्रीका-सम्मेलन ने एशियाई अफ्रीकी प्रदेशों के आर्थिक विकास के उपायों की आत्यन्तिक आवश्यकता का अनुभव किया। इसमें भाग लेने वाले देशों में पारस्परिक हित और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान के आधार पर आर्थिक सहयोग की आम इच्छा प्रगट की गई। सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के आर्थिक सहयोग संबंधी सुझावों का यह अर्थ नहीं है कि इस अंचल के अतिरिक्त दूसरे देशों के साथ सहयोग की आवश्यकता जिसके अंतर्गत विदेशी

पूंजी का विनियोग भी है, खत्म हो जाती है। बल्कि इसमें यहां तक मान लिया गया कि भाग लेने वाले उन देशों ने जिन्होंने इस अंचल से बाहर के देशों से, अन्तर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय प्रबंध के अंतर्गत सहायता ली, उससे विकास कार्य-क्रमों को कार्यरूप देने में महत्वपूर्ण लाभ हुआ।

२. इसमें भाग लेने वाले देशों ने यह स्वीकार किया कि वे एक दूसरे को यथाशक्ति तकनीकी सहायता देंगे जो विशेषज्ञों, प्रशिक्षण लेने वालों, मार्ग-दर्शक योजना कार्यों और प्रदर्शन के लिये सामग्री के रूप में होंगी। इसके साथ ही जानकारी का विनिमय और राष्ट्रीय या जहां सम्भव हो आंचलिक प्रशिक्षण और ऐसे खोज संस्थान भी होंगे, जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के सह-योग से तकनीकी जानकारी और दक्षता सिखा सकें।

३. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने ये सिफारिशें कीं :—आर्थिक विकास के लिये विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि की शीघ्र स्थापना, एशियाई अफ्रीकी देशों के अधिक विकास के लिये विकास और पुनर्निर्माण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा आवंटन, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की शीघ्र स्थापना जो समता लाने वाले विनियोग संबंधी कार्यों को भी आगे बढ़ाये, तथा एशियाई अफ्रीकी देशों में जन हित की तरक्की के संयुक्त प्रयत्न किये जायँ।

४. एशिया अफ्रीका सम्मेलन ने अपने अंचल में पण्य व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा मांग के स्थिरी करण की तुरन्त आवश्यकता को स्वीकार किया। बहुपक्षीय व्यापार और भुगतान का क्षेत्र बढ़ाने के सिद्धान्त को मान कर किया जाय। लेकिन यह भी स्वीकार कर लिया गया कि कुछ देशों को, तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुये, द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्ध का सहारा लेना होगा।

५. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने सिफारिश की कि सम्मेलन में भाग लेने वाले देश प्राथमिक पण्यों की मांग और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को स्थिर करने के लिये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रबन्ध करके सामूहिक कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त जहां तक व्यावहारिक और वांछनीय हो वे अन्तर्राष्ट्रीय पण्य व्यापार पर संयुक्त राष्ट्रीय स्थायी सलाहकार कमीशन में और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में एक मत होकर काम करें।

६. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने कुछ और भी बातों की सिफारिश की जैसे एशियाई अफ्रीकी देशों को निर्यात के पहले जब भी आर्थिक दृष्टि से लाभ-दायक हो, कच्चे माल के विधायन के द्वारा व्यापार को बहुविध बनाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों का आयोजन और व्यापारिक प्रति-

निधि मंडलों तथा व्यापारियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिये और अन्तप्रदेशिक व्यापार को उन्नत करने के लिये सूचनाओं और नमूनों की अदला बदली को बढावा देना चाहिये तथा समुद्रतट हीन देशों को व्यापार के लिये दूसरे देशों में से होकर परिवहन की साधारण समय के उपयुक्त सुविधाएं मिलनी चाहिये।

७. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने जहाजी व्यापार को काफी प्रधानता दी। सम्मेलन ने इस बात पर भी चिन्ता प्रगट की कि जहाजी कम्पनियाँ प्रायः माल के भाड़े की दरों में ऐसे परिवर्तन करती है जो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के लिये हानिकर होते हैं। सम्मेलन ने इस समस्या के अध्ययन करने और फिर सामूहिक कार्य करने की सिफारिश की जिससे जहाजी कम्पनियां अधिक युक्ति संगत रुख अख्तियार करें। यह भी सुझाव रखा गया कि अन्य देशों से होकर जाने वाले माल के रेल भाड़े के संबंध में अध्ययन किया जाये।

८. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन में यह तय हुआ कि राष्ट्रीय और आंचलिक बैंक और बीमा कम्पनियां बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये।

९. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि तेल सम्बन्धी मामलों में जैसे लाभ और कर में छूट संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान से अन्ततोगत्वा एक समान नीति विकसित हो सकती है।

१०. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने एशियाई अफ्रीकी देशों के शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये आणविक शक्ति के विकास पर जोर दिया। सम्मेलन ने इस बात का स्वागत किया कि कुछ देशों ने शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये आणविक शक्ति के प्रयोग के संबंध में समस्त प्राप्त सूचनाएं देने की ओर भी विशेष ध्यान दिया हैं। सम्मेलन ने एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति अभिकरण की शीघ्र स्थापना के लिये प्रेरित किया जो अभिकरण की कार्यकारिणी में समस्त एशियाई अफ्रीकी देशों का उचित रूप से प्रतिनिधित्व कर सके। सम्मेलन ने एशियाई अफ्रीकी देशों से सिफारिश की कि वह उन सारी सुविधाओं और प्रशिक्षण का पूरा पूरा लाभ उठायें जो ऐसे कार्यक्रमों का संयोजन करने वाले देश आणविक शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिये देंगे।

११. सूचनाओं तथा पारस्परिक हित सम्बन्धी विचारों के आदान प्रादान के लिये एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने यहां भाग लेने वाले देशों में ऐसे सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति के लिये अपनी सम्मति दे दी जो अपनी ही राष्ट्रीय सरकारों द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। सम्मेलन ने सिफारिश की कि मौजूदा सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का और अधिक लाभ उठाना चाहिये और उन देशों

को जो सम्मेलन में सम्मिलित हैं और इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य नहीं हैं, पर सदस्य होने की अर्हता रखते हैं इसकी सदस्यता लेनी चाहिये।

१२. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने सुझाव दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भाग लेने वाले देश पारस्परिक आर्थिक हितों की दृष्टि से पहले से परामर्श कर लें। परन्तु इसका आशय किसी भी प्रकार एक आंचलिक गुट बनाना नहीं है।

(आ) सांस्कृतिक सहयोग

१. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन को विश्वास है कि राष्ट्रों में आपसी सद्भावना को बढ़ाने के लिये सबसे शक्तिशाली तरीका सांस्कृतिक सहयोग का विकास करना है। एशिया और अफ्रीका उन अनेक धर्मों और सभ्यताओं के क्रीड़ा-क्षेत्र रहे हैं जिन्होंने दूसरों की सभ्यता और संस्कृतियों को प्रभावित किया और इस पद्धति में वे स्वयं विकसित होती रहीं। इस प्रकार एशिया और अफ्रीका की संस्कृतियों का आधार आध्यात्मिक और विश्व व्यापी है। दुर्भाग्य से एशियाई और अफ्रीकी देशों का आपसी सम्बन्ध गत शताब्दियों में टूट गया था। एशिया और अफ्रीकावासी अब अपने पुराने सांस्कृतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने तथा आधुनिक विश्व की गतिविधि को देखते हुये नवीन संबंधों को विकसित करने की सच्ची और तीव्र भावना से भर उठे हैं। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों ने अपने इस निश्चय को दोहराया कि वे निकटतर सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिये प्रयत्न करते रहेंगे।

२, एशिया-अफ्रीका सम्मेलन का ध्यान इस बात पर भी गया कि एशिया और अफ्रीका के कुछ भागों में जो औपनिवेशिक भावना अब भी वर्तमान है, उसका रूप चाहे जो भी हो उससे न केवल सांस्कृतिक सहयोग में बाधा पड़ती है बल्कि उससे जनता की राष्ट्रीय संस्कृतियों का दमन भी होता है। कुछ औपनिवेशिक शक्तियों ने अपनी अधीनस्थ जनता को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में प्रारम्भिक अधिकारों से भी वंचित कर रखा है जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का विकास और अन्य एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक सहयोग अवरुद्ध हो गया है। यह बात ट्यूनिशिया, अल्जीरिया और मोरक्को के बारे में विशेष रूप से सच है क्योंकि वहां के लोगों का अपनी भाषा और संस्कृति सीखने का मूल अधिकार भी छीन लिया गया है। अफ्रीका के कुछ भागों में अफ्रीकी हबशियों और दूसरे अश्वेत रंग के लोगों के साथ भी इस भेद नीति का व्यवहार किया गया है। सम्मेलन ने अनुभव किया कि इस प्रकार की

नीतियों से मानव के बुनियादी अधिकार की अवमानना होती है, उस अंचल में सांस्कृतिक प्रगति अवरुद्ध होती है और विशालतर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सहयोग में बाधा पड़ती है। सम्मेलन ने एशिया और अफ्रीका के कुछ भागों में इस नीति और दूसरे प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिबन्धों द्वारा शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मनुष्य के मूल मानव अधिकारों की अवमानना की निन्दा की। सम्मेलन ने विशेषरूप से जातिभेदवाद को सांस्कृतिक दमन का एक साधन बताकर उसकी निन्दा की।

३. सम्मेलन ने एशियाई अफ्रीकी देशों में सांस्कृतिक सहयोग को जिस दृष्टिकोण से देखा वह दूसरे राष्ट्रों, दूसरी सभ्यताओं अथवा संस्कृतिक किसी के भी प्रति अलगाव या विरोध की भावना से नहीं था। सम्मेलन का विश्वास था कि सहन-शक्ति और विश्व प्रेम की अपनी प्राचीन परम्परागत भावना के अनुरूप ही एशिया और अफ्रीकों के देशों में सांस्कृतिक सहयोग का विकास विश्व-सहयोग के विशालतर स्तर पर होना चाहिए।

एशिया और अफ्रीका के देश पारस्परिक सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। इससे उनकी अपनी संस्कृति समृद्ध होगी और विश्व में शान्ति तथा आपसी सद्‌भावना के बढ़ने में सहायता मिलेगी।

४. एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश ऐसे हैं जहां अभी तक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सका है। सम्मेलन ने सिफारिश की कि एशिया और अफ्रीका के वह देश जो इस सम्बन्ध में अधिक समर्थ हैं उनको चाहिए कि वह अपनी संस्थाओं में पिछड़े हुये देशों के छात्रों और प्रक्षिणार्थियों को भर्ती होने की सुविधाएं दें। इसी प्रकार की सुविधाएं अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीका और एशिया के उन छात्रों को भी मिलनी चाहिये जो अभी तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाओं से वंचित हैं।

५. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने अनुभव किया कि एशिया और अफ्रीका के देशों में सांस्कृतिक सहयोग का विकास निम्न दिशाओं में होना चाहिए—

(अ) एक दूसरे के देशों के बारे में आपस में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करना।

(आ) पारस्परिक सांस्कृतिक विनिमय

(इ) और सूचनाओं का आदान-प्रदान।

६. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन का मत था कि इस समय सांस्कृतिक सहयोग से सबसे अच्छे परिणाम तभी निकल सकते हैं जब उसकी सिफारिशों को

लागू करने के लिए द्विपक्षीय प्रवन्ध किया जाये और प्रत्यक देश जहां भी अवसर मिले और संभव हो सके स्वयं अपने उत्तरदायित्व पर काम करे।

(ई) मानव-अधिकार और आत्म-निर्णय

१. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में उल्लिखित मानव अधिकार सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों का पूरा समर्थन किया। उसने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को सारी मनुष्य जाति और सभी राष्ट्रों के लिये सफलता का समान मानदण्ड बताया।

सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में उल्लिखित जनता और राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के पूर्ण समर्थन की घोषणा की। उसने जनता और राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर निर्णय दिया कि यह अधिकार मनुष्य के समस्त मूल अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिये सर्व-प्रथम आवश्यक है।

२. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने जातीय अलगाव तथा विभेद की उन नीतियों और विधियों पर शोक प्रकट किया जो एशिया के विस्तृत प्रदेशों और विश्व के अन्य भागों में जनता और सरकार के सम्बन्धों की मूलाधार हैं। इस प्रकार का व्यवहार न केवल मानव अधिकारों का पूर्ण हनन है बल्कि सभ्यता की मूल मान्यताओं और मनुष्य की मर्यादा की भी अवमानना है।

जातीय भेद के कारण पीड़ित, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान के नागरिकों ने जो साहसपूर्ण कार्य किया, सम्मेलन ने उसकी पुष्टि की तथा उसके प्रति अपनी सहृदयता और सहानुभूति प्रदर्शित की। उसने उन सब देशों की प्रशंसा की जिन्होंने उनके संघर्ष का समर्थन किया, एशिया और अफ्रीका के रहने वाले लोगों के अपने अपने देशों में वर्तमान भेद के प्रत्येक चिन्ह को मिटाने के निश्चय का फिर से समर्थन किया। उसने इस बात का प्रण किया कि जाति भेद को मिटाने की चेष्टा में इस दोष से वह स्वयं प्रभावित न हो जाएं, इसके लिए वह पूर्ण नैतिक मनोबल से प्रयत्न करेगा।

(ई) पराधीन लोगों की समस्याएं

ट. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने पराधीन लोगों और उपनिवेशवाद की समस्याओं पर, तथा पराधीनता, विदेशी शासन और शोषण से ग्रस्त होने के कारण उत्पन्न दोषों पर विचार विनिमय किया।

निम्न बातों पर सम्मेलन की सहमति थी

(अ) घोषणा की गई, कि उपनिवेशवाद चाहे वह किसी भी रूप में हो एक बुराई है और इसका अन्त शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये।

(आ) यह दोहराया गया कि पराधीनता, विदेशी शासन और शोषण मनुष्य को उसके मूलमानव अधिकारों से वंचित करते हैं, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के विपरीत है और विश्व में शान्ति तथा सहयोग की अभिवृद्धि के मार्ग में बाधक हैं।

(इ) ऐसे सब लोगों की स्वतन्त्रता के प्रयत्नों को समर्थन की घोषणा की गई।

(ई) सम्बन्धित राष्ट्रों से कहा कि वे ऐसे सब लोगों को स्वतन्त्रता देवें।

२. उत्तरी अफ्रीका की अनिश्चित परिस्थिति और वहां के लोगों को आत्म-निर्णय के अधिकार दिये जाने का निरन्तर विरोध होते हुये देखकर एशिया अफ्रीका सम्मेलन ने अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के आत्म-निर्णय और स्वतन्त्रता के अधिकारों का समर्थन किया तथा फ्रांसीसी सरकार को अविलम्ब इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकालने के लिये कहा।

(उ) अन्य समस्याएं

१. फिलिस्तीन में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मध्य पूर्व में वर्तमान तनाव और विश्व शान्ति के लिए उस तनाव से उत्पन्न भय को देखते हुये एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने फिलिस्तीन में बसने वाले अरबवासियों के अधिकारों के पक्ष समर्थन की घोषणा की। सम्मेलन ने फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने और वहां की समस्या के बारे में एक शान्तिपूर्ण समझौते पर पहुँचने के लिये कहा।

२. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने उपनिवेशवाद के निर्मूलन सम्बन्धी अपने उद्घोषित दृष्टिकोण के संदर्भ में पश्चिमी ईरिअन के मामले में इंडोनेशिया की स्थिति का समर्थन किया। इस समर्थन का आधार इंडोनेशिया और नीदरलैंडस के बीच होने वाले प्रासंगिक समझौते थे।

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने नीदरलैंड सरकार को उपरोक्त समझौतों के अंतर्गत अपने दायित्वों को क्रियान्वित करने के लिये यथासंभव शीघ्र पुनः वार्ता आरम्भ करने को प्रेरित किया तथा आशा प्रकट की कि संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धित पक्षों को झगडे का शान्तिपूर्ण समाधान करने में सहायता देगा।

३. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने अदन और यमन के दक्षिणी भागों का जो संरक्षित प्रदेश कहे जाते हैं यमन का समर्थन किया और सम्बन्धित पक्षों से झगड़े के शान्तिपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिये कहा।

(ख) विश्व शान्ति और सहयोग की अभिवृद्धि

१. यह देखकर कि अनेक राष्ट्र अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, सम्मेलन ने यह विचार प्रकट किया कि विश्व शान्ति में प्रभावपूर्ण सहयोग देने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता सार्वभौमिक होनी चाहिये। सम्मेलन ने सुरक्षा-परिषद से कहा—कि घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार जो राज्य इस सदस्यता के योग्य हैं उन सबको सदस्य बनाये जाने का वह समर्थन करे। एशिया-अफ्रीका सम्मेलन के विचार में भाग लेने वाले देशों में कम्बोडिया, लंका, जापान, जोर्डन, लाओस, लीबिया, नेपाल, एकीभूत वियतनाम इस सदस्यता की अर्हता रखते थे।

सम्मेलन ने विचार प्रकट किया कि समुचित भौगोलिक विभाजन को ध्यान में रखते हुये एशियाई-अफ्रीकी देशों का सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधित्व यथेष्ट नहीं है। उसने यह विचार प्रकट किया कि जहां तक अस्थायी आसनों के आवंटन का प्रश्न है उन एशियाई अफ्रीकी देशों को जिन्हें १९४६ में लन्दन में हुये समझौते के अन्तर्गत निर्वाचित होने से वंचित कर दिया गया था, सुरक्षा परिषद् में निर्वाचित होने का अधिकार दिया जाये जिससे वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखने में प्रभावशाली योगदान दे सकें।

२. एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की वर्तमान भयानक स्थिति और एक ऐसे विश्व युद्ध की संभावना पर, जिसमें हर प्रकार के संहारक अस्त्रों का, आणविक और तापआणविक शस्त्रों का भी प्रयोग होगा और जिससे सम्पूर्ण मानव जाति खतरे में पड़ जायगी, विचार किया और सारे राष्ट्रों का ध्यान युद्ध के भीषण परिणामों की ओर खींचा।

सम्मेलन ने विचार किया कि निःशस्त्रीकरण और आणविक तथा ताप-आणविक शस्त्रों के उत्पादन, परीक्षण तथा प्रयोग का निषेध सभ्यता और मानव जाति को विश्व व्यापी विनाश की संभावना से रोकने के लिये अत्यावश्यक है। सम्मेलन का विचार था कि एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र यहां एकत्रित हुए हैं, उनका मानवता और सभ्यता के प्रति यह कर्तव्य है कि वह निःशस्त्रीकरण और इन अस्त्रों के निषेध के समर्थन की घोषणा करें, तथा उन राष्ट्रों से जिनका इस बात से मुख्य सम्बन्ध है और समस्त विश्व के जनमत से

इस प्रकार के निश्शस्त्रीकरण और निषेध करने की अपील करें।

सम्मेलन ने विचार किया कि प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की स्थापना होनी चाहिये और इस प्रकार निश्शस्त्रीकरण तथा निषेध के लिये उसे निरन्तर बनाये रखना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निश्चित और शीघ्र प्रयास होना चाहिए।

सम्मेलन ने आणविक तथा ताप-आणविक शस्त्रों का पूर्ण निषेध होने तक ऐसे शस्त्रों के परीक्षण को बंद करने के मामले में सब राष्ट्रों से सहमत होने की अपील की।

सम्मेलन ने घोषणा की कि शान्ति को बनाये रखने के लिये सम्पूर्ण विश्व में निश्शस्त्रीकरण होना अत्यावश्यक है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से इसके लिये प्रयत्न करते रहने का अनुरोध किया तथा सम्बंधित सब देशों से अपील की कि वह शीघ्र ही सशस्त्र सेनाओं और अस्त्रों को नियमित, सीमित, नियन्त्रित और कम करें। इसके अन्तर्गत वह सामूहिक नाश के लिये अस्त्रों के नव उत्पादन, परीक्षण और प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगायें तथा इसे सफल बनाने के लिये प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की स्थापना करें।

स—विश्वशान्ति और सहयोग की अभिवृद्धि सम्बन्धी घोषणा

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने विश्व शान्ति और सहयोग के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया। उसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की वर्तमान स्थिति और उसके संदर्भ में आणविक विश्व युद्ध के खतरे पर गंभीर चिंता प्रगट की। शान्ति की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या से ग्रथित है। इस दिशा में सभी राष्ट्रों को विशेषतः संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, सहयोग पूर्वक यह प्रयत्न करना चाहिये कि शस्त्रास्त्रों को कम किया जाये और प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण व्यवस्था द्वारा आणविक अस्त्रों को समाप्त किया जाये। इस प्रकार विश्व शान्ति की स्थापना हो सकती है और आणविक शक्ति का उपयोग एकमात्र शान्ति कालीन कार्यों के लिये हो सकता है। इससे एशिया और अफ्रीका की आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष रूप से हो सकेगी क्योंकि यहां के देशों की सबसे प्रमुख आवश्यकता है सामाजिक प्रगति, जीवन का उच्चतर मानदण्ड और अधिकाधिक स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रता और शान्ति परस्परावलम्बी हैं। प्रत्येक जाति को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिये. और जो अभी पराधीन हैं, उन्हें शीघ्र स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार होना चाहिये कि वह बिना किसी दबाव के अपनी राजनीतिक और

आर्थिक पद्धतियों और जीवन के तरीकों को संयुक्तराष्ट्र को घोषणापत्र में निर्धारित उद्देश्यों और सिद्धान्तों के अनुकूल चुने।

राष्ट्रों को अविश्वास और भय से मुक्त होकर एक दूसरे के प्रति विश्वास और सद्भावना रखते हुये सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिये और अच्छे पड़ोसियों की तरह शान्तिपूर्वक रहते हुये निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना चाहिये।

१. बुनियादी मानव अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति सम्मान,

२. सभी राष्ट्रों की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय सीमा का सम्मान

३. सभी नस्लों और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की समानता की स्वीकृति

४. दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना

५. संयुक्त राष्ट्रों के घोषणा पत्र के अनुकूल प्रत्येक राष्ट्र के अकेले या सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करने के अधिकार का सम्मान।

६. (अ) सामूहिक प्रतिरक्षा के प्रवन्धों को किसी भी बड़ी शक्ति के विशेष हितों को आगे बढ़ाने के लिये प्रयोग में न लाना।

(ब) किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों पर दबाव न डालना।

७. आक्रामक कार्यों को न करना और धमकियाँ न देना तथा किसी भी देश की क्षेत्रीय सीमा या राजनैतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध सैन्यबल का प्रयोग न करना।

८. प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े का निपटारा शान्तिपूर्ण तरीकों जैसे पारस्परिक वार्ता, समझौता, पंचनिर्णय या न्यायिक निर्णय तथा संबंधित पक्षों की स्वीकृति से और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुकूल अन्य शान्तिपूर्ण तरीकों से करना।

९. पारस्परिक हितों और सहयोग की अभिवृद्धि करना।

१०. न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का सम्मान।

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने यह विश्वास प्रगट किया कि उक्त सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग से विश्वशांति और सुरक्षा की स्थापना और अभिवृद्धि हो सकेगी, और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग से सभी का कल्याण और समृद्धि होगी।

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि जिन देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है उनसे सलाह करके अगला सम्मेलन बुलाने के संबन्ध में पांच संयोजक देश विचार करें।

इस प्रकार के निश्शस्त्रीकरण और निषेध करने की अपील करें।

सम्मेलन ने विचार किया कि प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की स्थापना होनी चाहिये और इस प्रकार निश्शस्त्रीकरण तथा निषेध के लिये उसे निरन्तर बनाये रखना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निश्चित और शीघ्र प्रयास होना चाहिए।

सम्मेलन ने आणविक तथा ताप-आणविक शस्त्रों का पूर्ण निषेध होने तक ऐसे शस्त्रों के परीक्षण को बंद करने के मामले में सब राष्ट्रों से सहमत होने की अपील की।

सम्मेलन ने घोषणा की कि शान्ति को बनाये रखने के लिये सम्पूर्ण विश्व में निश्शस्त्रीकरण होना अत्यावश्यक है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से इसके लिये प्रयत्न करते रहने का अनुरोध किया तथा सम्बंधित सब देशों से अपील की कि वह शीघ्र ही सशस्त्र सेनाओं और अस्त्रों को नियमित, सीमित, नियन्त्रित और कम करें। इसके अन्तर्गत वह सामूहिक नाश के लिये अस्त्रों के नव उत्पादन, परीक्षण और प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगायें तथा इसे सफल बनाने के लिये प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की स्थापना करें।

स—विश्वशान्ति और सहयोग की अभिवृद्धि सम्बन्धी घोषणा

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने विश्व शान्ति और सहयोग के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया। उसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की वर्तमान स्थिति और उसके संदर्भ में आणविक विश्व युद्ध के खतरे पर गंभीर चिंता प्रगट की। शान्ति की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या से ग्रथित है। इस दिशा में सभी राष्ट्रों को विशेषतः संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, सहयोग पूर्वक यह प्रयत्न करना चाहिये कि शस्त्रास्त्रों को कम किया जाये और प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण व्यवस्था द्वारा आणविक अस्त्रों को समाप्त किया जाये। इस प्रकार विश्व शान्ति की स्थापना हो सकती है और आणविक शक्ति का उपयोग एकमात्र शान्ति कालीन कार्यों के लिये हो सकता है। इससे एशिया और अफ्रीका की आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष रूप से हो सकेगी क्योंकि यहां के देशों की सबसे प्रमुख आवश्यकता है सामाजिक प्रगति, जीवन का उच्चतर मानदण्ड और अधिकाधिक स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रता और शान्ति परस्परावलम्बी हैं। प्रत्येक जाति को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिये. और जो अभी पराधीन हैं, उन्हें शीघ्र स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार होना चाहिये कि वह बिना किसी दबाव के अपनी राजनीतिक और

आर्थिक पद्धतियों और जीवन के तरीकों को संयुक्तराष्ट्र को घोषणापत्र में निर्धारित उद्देश्यों और सिद्धान्तों के अनुकूल चुने।

राष्ट्रों को अविश्वास और भय से मुक्त होकर एक दूसरे के प्रति विश्वास और सद्भावना रखते हुये सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिये और अच्छे पड़ोसियों की तरह शान्तिपूर्वक रहते हुये निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना चाहिये।

१. बुनियादी मानव अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति सम्मान,

२. सभी राष्ट्रों की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय सीमा का सम्मान

३. सभी नस्लों और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की समानता की स्वीकृति

४. दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना

५. संयुक्त राष्ट्रों के घोषणा पत्र के अनुकूल प्रत्येक राष्ट्र के अकेले या सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करने के अधिकार का सम्मान।

६. (अ) सामूहिक प्रतिरक्षा के प्रवन्धों को किसी भी बड़ी शक्ति के विशेष हितों को आगे बढ़ाने के लिये प्रयोग में न लाना।

(ब) किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों पर दवाव न डालना।

७. आक्रामक कार्यों को न करना और धमकियाँ न देना तथा किसी भी देश की क्षेत्रीय सीमा या राजनैतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध सैन्यबल का प्रयोग न करना।

८. प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े का निपटारा शान्तिपूर्ण तरीकों जैसे पारस्परिक वार्ता, समझौता, पंचनिर्णय या न्यायिक निर्णय तथा संबंधित पक्षों की स्वीकृति से और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुकूल अन्य शान्तिपूर्ण तरीकों से करना।

९. पारस्परिक हितों और सहयोग की अभिवृद्धि करना।

१०. न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का सम्मान।

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने यह विश्वास प्रगट किया कि उक्त सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग से विश्वशांति और सुरक्षा की स्थापना और अभिवृद्धि हो सकेगी, और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग से सभी का कल्याण और समृद्धि होगी।

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि जिन देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है उनसे सलाह करके अगला सम्मेलन बुलाने के संबन्ध में पांच संयोजक देश विचार करें।

शान्ति और सद्भावना की ओर

पंचशील के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। पर पंचशील एक राजनैतिक-दार्शनिक सिद्धान्त है, राजनीतिक रूप से सफलता में ही उसकी सार्थकता है। इसलिये पंचशील व्यवहार में क्या है और क्या रूप ले रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस छोटी सी पुस्तिका में विभिन्न देशों के प्रधान मंत्रियों, राष्ट्रपतियों आदि ने भारत के प्रधान मंत्री के साथ अथवा अन्य रूप में जो प्रासंगिक वक्तव्य दिये उन्हें एकत्र किया गया है। हमारे यहां से अंग्रेजी में जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसके मुकाबले में हिन्दी संस्करण में कई और नये वक्तव्य जोड़ दिये गये हैं। व्यावहारिक पंचशील पर यह एक बहुत सुन्दर उपकरणयुक्त प्रलेख है। मूल्य आठ आना।

मुद्रक : एलबियन प्रेस, कश्मीरी गेट, दिल्ली

पब्लिकेशन्स डिवीज़न
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय
भारत सरकार

भारत में मुद्रित